फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

भवरसिंह वगै.

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 07 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.22	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता श्री सुखदेव जाखड़ एवं सरकार की तरफ से राजकीय अभिभाषक उप. अपील अन्तर्गत धारा 225 सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 80/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 के विरुद्ध पेश हुई अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त है। मौके पर अपीलांटगण की पूर्ण रूप से कब्जा काश्त है परन्तु भूलवश उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज हो गई थी जिस कारण अपीलांटगण उक्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। मूल दावा	[signature] G.A.

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांटगण के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण रहते अपीलांटगण को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भारती राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांटगण का कोई हक नहीं बनता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारीज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन भारती राजकीय सिवायचक भूमि जिस पर अपीलांटगण का कोई हक नहीं बनता है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
पाडोर